न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16 / 488

दुर्गालाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्योजी जाति राठोर (तेली) निवासी ग्राम जालेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. देवलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
2. छोटू लाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
3. रामगोपाल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
4. राजाराम आयु 28 वर्ष आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति बैरवा ।
5. बनवारी आयु 20 वर्ष आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति बैरवा निवासीगण ग्राम मोतीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राजय सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा का ग्राम जालेडा तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 221 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी का पिछले 40–45 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी इस भूमि का लगान, पिलाई राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है । उक्त भूमि को वादी के पिता ने नोतोड से आबाद करके काबिल काश्त बनाया था तब से ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कालू वल्द गेन्दया कौम चमार के खाते

में दर्ज है परन्तु उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर हस्तक्षेप नहीं करें तथा वादी को उक्त भूमि पर फसल बोने काटने से नहीं रोकें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त आराजी या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का पिछले 40–45 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का पिछले 40–45 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और राजस्व रिकॉर्ड में कालू आत्मज गेन्दया का नाम दर्ज था। कालू के स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 का नाम दर्ज किया गया है । अपीलान्ट का इसमें प्रतिकूल कब्जा है । दावे में प्रतिवादीगण को तलब करने के उपरान्त उनके द्वारा वादी का कब्जा स्वीकार किया गया है । प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया और बिना किसी आधार के वाद को खारिज किया गया है । लोक अदालत में अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित थे, सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया और अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा की प्रार्थना की गई है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल

कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं है ।

9. जहॉ तक प्रकरण को लोक अदालत में रखने का प्रश्न है वादी और प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पूरी हो चुकी थी पत्रावली अंतिम बहस में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में निर्णित किया है । इस प्रकार वादी अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर मिला है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/488

दुर्गालाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्योजी जाति राठोर (तेली) निवासी ग्राम जालेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. देवलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
2. छोटू लाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
3. रामगोपाल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
4. राजाराम आयु 28 वर्ष आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति बैरवा ।
5. बनवारी आयु 20 वर्ष आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति बैरवा निवासीगण ग्राम मोतीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राजय सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बून्दी जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 239/दावा/2006

दुर्गालाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्योजी जाति राठोर (तेली) निवासी ग्राम जालेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. कालू आत्मज गेन्दया आयु 70 वर्ष जाति बैरवा ।
2. हीरालाल आत्मज कालू आयु 48 वर्ष जाति बैरवा ।
3. देवलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
4. छोटू लाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा ।
5. रामगोपाल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति बैरवा निवासीगण ग्राम मोतीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा